न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर खैरथल तिजारा राज0
पीठासीन अधिकारी :– सुरेश कुमार बलाई (आर.ए.एस)

वाद संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
219/2022	20.09.2022	20.06.2025

बउनवान

1. महेश पुत्र श्री अमरसिंह जाति ब्राहमण निवासी सानोली तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

:– वादी

बनाम

1. सुमेर सिंह पुत्र श्री सोहनलाल जाति अहीर निवासी सानोली तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
2. रामचन्दर पुत्र श्री चितरू
3. ठण्डूराम पुत्र श्री चितरू जातियान ब्राहमण निवासीयान सानोली तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
4. राजस्थान सरकार जरिये लेण्ड तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर राज0।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

श्री सुभाष चन्द शर्मा :– अधिवक्ता वादी

वादी ने अपने वाद पत्र का सार इस प्रकार है कि

1. यह है कि प्रस्तुत वाद में आराजी खसरा नम्बर 54/0.10 है0 वाके ग्राम भुनगडा ठेठर तहसील मुण्डावर में स्थित है। जो प्रस्तुत वाद में विवादित आराजी कहलावेगी।
2. यह है कि हाल ख० नं0 54 रकबा 0.10 है० साबिक ख० नं० 736/24 रकबा 0.10 हैक0 से पैमुद हुआ है। जिसका प्रतिवादी सं0 1 सुमेरसिंह 3/5 भाग का खातेदार काश्तकार था तथा प्रतिवादी सं० 2 व 3 क्रमशः 1/5 भाग, 1/5 भाग के गैरखातेदार काश्तकार है. दर्ज राजस्व रिकोर्ड है।
3. यह है कि मिन वादी ने प्रतिवादी सं0 1 सुमेरसिंह का 3/5 भाग प्रतिवादी सं0 1 सुमेरसिंह से जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 11/08/2021 को खरीद किया है, जो बैयनामा दिनांक 12/08/2021 को उपपंजीयक

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

कार्यालय मुण्डावर में पुस्तक सं० 1 जिल्द सं० 567 पृष्ठ सं0 81 कम सं0 202103252101170 पर पंजीबद्ध किया गया है।

4. यह है कि मिन वादी ने बाद खरीद वैयनामा हल्का पटवारी भुनगडा अहीर को बैयनामा के आधार पर नामान्तरण दर्ज करने को दे दिया था पटवारी हल्का ने कहा कि जमाबन्दी राजस्व रिकोर्ड ऑन लाईन हो रहा है कुछ दिन बाद नामान्तरण दर्ज कर देगें और बैयनामा प्रतिवादी ने लेकर रख लिया मिन वादी तहसीलदार महोदय व हल्का पटवारी से बार बार निवेदन करता रहा तो हमेशा आज कल आज कल कहकर आश्वासन देते रहे। मिन वादी विश्वास में रहा लेकिन आज तक भी नामान्तरण दर्ज नहीं हुआ है।

5. यह है कि दिनांक 25/08/2022 को मिन वादी हल्का पटवारी से नामान्तरण बाबत मिला तो कहा कि सिस्टम अपडेट नहीं कर रहा है चूंकि सिस्टम मे प्रतिवादी सं० 2 व 3 गैरखातेदार है तो पहले खसरा का विभाजन होकर खातेदार काश्तकार का अलग नम्बर व गैरखातेदार काश्तकार का अलग नम्बर दर्ज होगा तब ही आपका नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज होगा। अतः आप सक्षम अदालत से आदेश लेकर आओ पर वाद हेतूक पैदा होकर दावा हाजा पेश करना लाजिम आया है कि बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस 3/5 हिस्सा खातेदार व 2/5 हिस्सा गैरखातेदार का विभाजन कर अलग कुरेजात कायम कर अलग खाता बनाया जावे। तथा 3/5 हिस्सा का मिन वादी को खातेदार दर्ज किया जावे।

6. यह है कि मिन वादी बाद खरीद से सम्पूर्ण हिस्से पर काबिज काश्त है।

7. यह है कि मिन वादी प्रतिवादी सं० 2 व 3 श्री रामचन्दर व ठण्डूराम के हिस्से पर भी काबिज काश्त है चूंकि उनका 2/5 हिस्सा गैरखातेदारी का है उसके लिये अलग से कार्यवाही न्यायालय श्रीमान में मिन वादी पेश करेगा रामचन्दर व ठण्डूराम का राजस्व रिकोर्ड में नाम होने से उन्हे फरीक मुकदमा बनाया है।

8. यह है कि मिन वादी जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीददार की हैसियत से 3/5 भाग का खातेदार काश्तकार है न्यायालय हाजा से 3/5 भाग का खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी है। जो अमल प्रतिवादी सं0 1 सुमेरसिंह का चला आ रहा है काटा जाकर मिन वादी को 3/5 भाग का खातेदार दर्ज राजस्व रिकोर्ड किया जावे।

9. यह है कि मिन वादी प्रतिवादी सं0 1 को जरिये हु० ई० दवामी पाबंद करवाने का अधिकारी है कि प्रतिवादी सं० 1 गलत राजस्व रिकोर्ड अमल के आधार पर आराजी को कहीं भी रहन बैय हिबा लीज से मुन्तकिल ना करे मौका व रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखे पाबंद रहे।

10. यह है कि आराजी ख0 नं0 54 रकबा 0.10 हैक०, का 3/5 भाग खातेदारी रकबा व 2/5 भाग क्रमशः 1/5 व 1/5 भाग गैरखातेदारी रकबा को

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स तकासमा कर अलग से कुर्रजात कायम कर अलग नम्बर पैमूद किये जावे।

वादी ने अपने वाद पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि
यह है कि दावा हाजा वादी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सं० 1 निम्न प्रकार डिकी किया जावे।

(अ) डिकी इजराय बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सं० 1 इस अमर की फरमायी जावे कि आराजी हाल ख० नं0 54/0.10 हैक०, के 3/5 भाग वाके ग्राम भुनगडा ठेठर तहसील मुण्डावर का वादी खरीददार खातेदार काश्तकार है जो अमल राजस्व रिकोर्ड में प्रतिवादी सं० 1 का 3/5 भाग में चल रहा है उसे काटा जावे।
(ब) जरिये हु0 ई0 दवामी से प्रतिवादी सं0 1 को पाबंद किया जावे कि वो गलत इन्द्राज राजस्व रिकोर्ड के आराजी को कहीं रहन बैय हिबा लीज से मुन्तकिल ना करे पाबंद रहे। मौका व रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखे
(स) आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स तकासमा कर अलग से कुरेजात कायम कर खातेदारी रकबा 3/5 हिस्सा व गैरखातेदारी रकबा 2/5 हिस्सा के अलग नम्बर कायम किये जावे।
(द) दीगर दादरसी जो बनजदीक अदालत श्रीमान हो बख्सी जावे।

वादी का वाद को दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण की विधिवत रूप से तामिल करवाई गई, प्रतिवादीगण की विधिवत रूप से तामिल होने के बाद उपस्थित होकर इकबाल जबाव दावा प्रस्तुत किया गया। जो पत्रावली शामिल है।

वादी ने अपने दावे के समर्थन में प्रदर्श – 1 जमाबन्दी सम्वत 2072–2075, प्रदर्श–2 रजिस्टर्ड बैयनामा की छायाप्रति पेश किया गया।

वादी वकील ने अपने बहस के दौरान कथन कहे कि विवादित आराजी वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 से जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा क्रय की गई है। वक्त क्रय से ही वादी का कब्जा है। विवादित आराजी में वादी का नाम अमल दरामद किये जाने बाबत प्रतिवादी संख्या 01 ने इकबाल जबाव दावा प्रस्तुत गया है। विवादित आराजी के खाते में गैर खातेदार व खातेदार होने के कारण वादी का नाम अमल दरामद नही हो सका। इसलिए विवादित आराजी के खाते से गैर खातेदार व खातेदार को पृथक पृथक किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया जावें।

पत्रावली, वादी के वाद के सलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर विवेचन इस प्रकार है कि प्रदर्श–2 के

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

अनुसार वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 से जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद की गई है। वादी द्वारा विवादित आराजी को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा से खरीद किये जाने की स्थिति में प्रतिवादी संख्या 01 ने इकबाल जबाव दावा पेश किया गया है साथ ही गैर खातेदार व खातेदार को पृथक पृथक किये जाने बाबत प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 द्वारा इकबाल जबाव दावा प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में वादी के वाद को यह न्यायालय स्वीकार किये जाने योग्य पाता है।

आदेश

उक्त विवेचन के अनुसार न्यायालय वादी के वाद को स्वीकार किया जाता है एवं ख०न0 54 रकबा 0.10 है0 वाके ग्राम भुनगडा ठेठर तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0 के 3/5 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विवादित आराजी में दर्ज प्रतिवादी संख्या 01 सुमेर सिंह का नाम को हजफ कर उसके स्थान पर वादी के नाम का अमल दरामद करते हुए गैर खातेदार व खातेदार काश्तकार का पृथक पृथक खाता कायम किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 20.06.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

(सुरेश कुमार बलाई)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :– सुरेश कुमार बलाई (आर.ए.एस)

वाद संख्या	दायर दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
219/2022	20.09.2022	20.06.2025

बउनवान

1. महेश पुत्र श्री अमरसिंह जाति ब्राहमण निवासी सानोली तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

:– वादी

बनाम

1. सुमेर सिंह पुत्र श्री सोहनलाल जाति अहीर निवासी सानोली तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
2. रामचन्दर पुत्र श्री चितरू
3. ठण्डूराम पुत्र श्री चितरू जातियान ब्राहमण निवासीयान सानोली तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
4. राजस्थान सरकार जरिये लेण्ड तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर राज0।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: पर्चा डिक्री :–

वादी की ओर से **श्री सुभाष चन्द शर्मा एडवोकट व** प्रतिवादी की अनुपस्थिति में इस वाद में **आज दिनांक 20.06.2025** को **सुरेश कुमार बलाई उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश हुआ। वादी के वाद को **पर्चा डिक्री किये जाने के आदेश दिये जाते है :–**

ख०न0 54 रकबा 0.10 है0 वाके ग्राम भुनगडा ठेठर तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0 के 3/5 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विवादित आराजी में दर्ज प्रतिवादी संख्या 01 सुमेर सिंह का नाम को हजफ कर उसके स्थान पर वादी के नाम का अमल दरामद करते हुए गैर खातेदार व खातेदार काश्तकार का पृथक पृथक खाता कायम किया जावें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20.06.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

(सुरेश कुमार बलाई)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

Scanned with OKEN Scanner